



(1)

क्षेत्रीय कार्यालय

# 30 प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

कवेल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान / बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या

54

सहमति/जल आदेश/

E 62

लखनऊ, दिनांक 27-6-14

मैसर्स ईको प्रो इंजीनियर्स प्रा० लि०, प्लॉट नं० 32/41, एस.एस. आफ जी.टी. रोड औ० क्षेत्र,

विषय जिला-गाजियाबाद को

जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( यथा संशोधित ) की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत  
उत्प्रावह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या शून्य

दिनांक 24-05-2014

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में <sup>उक्त</sup> को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुएँ में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 24-05-2014 से 31-12-2016 के लिए मान्य होगी।
3. "यह सहमति इक्तीस दिसम्बर दो हजार सोलह तक मान्य है"  
इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी 30प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 ( 2 ) के अन्तर्गत वर्णित किसी/ सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हों, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
4. यह सहमति आदेश पाल्यूशन कन्ट्रोल डिवाईसिस एण्ड सेटिंग आफ इन्वायरमेन्टल लेबोरेट्रीज हेतु मान्य है।